जल प्रौद्योगिकी केन्द्र

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली– 110012

सं.ज.प्रौ.के. / PFDC Orchard/Auction-25–26 / 922 / 17 दिनांक: 29.10.2025

विषयः– आँवला,निबूं एवं किन्नू के बाग के फलों की नीलामी सूचना।

इस केन्द्र के पी.एफ.डी.सी. / WTC-03 फार्म के बगीचे में लगे **आँवला निबूं एवं किन्नू** के फलों की खुली नीलामी सील बंद लिफाफे में निर्धारित की गई कीमत के अनुसार **दिनाँक 10.11.2025 दिन सोम्वार को प्रातः 11:00 बजे** समिति के समक्ष पी.एफ.डी.सी., फिल्ड में होगी।

नियम व शर्तें निम्नानुसार होंगीः–

1. नीलामी जहाँ है जैसा है के आधार पर होगी।
2. परियोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र को किसी भी नीलामी को स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
3. नीलामी में भाग लेने हेतू बोली दाता को रू.5000 / –(पॉच हजार रूपये मात्र) अग्रिम राशि के तौर पर नीलामी से पूर्व जमा करने होंगे। यह राशि नीलामी समाप्त होने पर अयोग्य बोली दाता को वापस कर दी जायेगी।
4. नीलामी सभी फलों की एक साथ होगी सबसे उच्च नीलामी मूल्य लगाने वाली फर्म / व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा उच्च नीलामी दाता को नीलामी की धन राशि का 50 प्रतिशत स्थल पर ही जमा करानी होगी एवं शेष 50 प्रतिशत एक सप्ताह के भीतर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., को जमा करानी होगी। यदि वह इस शर्त का पालन करने में विलंब करते है तो प्रतिदिन रू. 200 / – के हिसाब से अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. उस नीलामी दाता को फलों का **का तुड़ान मार्च 2026** तक हर हालत में समाप्त करना होगा।
6. एक बार नीलामी हो जाने के बाद ठेके में कोई वापसी या बदलाव नहीं होगा।
7. फलों की तुड़ाई प्रभारी, पी.एफ.डीसी. / WTC-03 की अनुमति से शुरू करनी होगी।
8. फलों की तुड़ाई पेड़ों को बिना नुकसान पहुँचायें करनी होगी तथा तुड़ाई केवल कार्यालय समय प्रातः 9:00 बजे से 5:30 बजे तक ही करने की अनुमती दी जाएगी।
9. बगीचे में किसी प्रकार की चोरी अथवा चिड़ियों व मौसम आदि द्वारा नुकसान के लिए परियोजना निदेशक, जल प्रौधौगिकी केन्द्र उत्तरदायी नहीं होंगें। फलों की सुरक्षा नीलामी दाता को स्वयं करनी होगी।
10. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च नीलामी दाता को स्वयं वहन करना होगा।
11. फलों की तुड़ाई एवं परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार अथवा नीलामी दाता को स्वयं करनी होगी इसके लिए कोई भी उपकरण / साधन / परिवहन आदि केन्द्र की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
12. ठेकेदार बाड़ / बाउंड्री / अनुसंधान की वस्तुओं / पानी की लाईन आदि को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा और न ही उसका स्थान परिवर्तन करेगा।
13. अनुसंधान के उद्देश्य हेतू फसल में दिये जाने वाले खाद पानी छिड़काव आदि को रोकने का अधिकार नीलामी दाता को नहीं होगा।
14. अनुसंधान के कार्य हेतू सुरक्षित पेड़ों के फलों पर ठेकदार का कोई अधिकार नही होगा।
15. केन्द्र के कर्मचारी किसी भी प्रकार की गणना करने (फलों एवं पेड़ों) के लिये स्वतंत्र होंगे।

16. ठेकेदार यदि अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे हमेशा के लिये काली–सूची में डाल दिया जायेगा।
17. नीलामी दाता या उसका कर्मचारी बाग में अपनी फसल के अलावा ज.प्रौ.के., के खेतों एवं बाग में कहीं पर भी विचरण नहीं करेगा।
18. बाग में खाना बनाने आदि किसी भी कार्य हेतु आग जलाने पर प्रतिबंध होगा। यदि आग जलाते हुए या आग से कोई नुकसान हुआ तो नीलामी दाता से उसकी पूरी कीमत वसूल की जायेगी, जो कि परियोजना निदेशक, जल प्रौधौगिकी केन्द्र द्वारा निधारित होगी।
19. ठेकेदार को अपना परिवार बाग में रखने की अनुमति नहीं होगी तथा ठेकेदार को अपना एवं अपने मजदूरों का पहचान पत्र एवं फोटो कार्यालय में जमा करवाने होंगें।
20. ठेके पर दी गयी फसल के अलावा किसी अन्य फसल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार ऐसा करते हुये पाया गया तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि को जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
21. फसल की बिक्री ज.प्रौ.के., के प्रांगण एवं बाग में करना प्रतिबंधित होगा, ठेकेदार को इस संदर्भ में सयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुार फसल की बिक्री केवल बिक्री के लिए निर्धारित स्थान पर ही करने की अनुमति होगी।
22. ठेकेदार एवं उसके मजदूरों की किसी अनैतिक गतिविधि की स्थिति में उसकी धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
23. ठेकेदार को 10रू. के स्टाम्प पेपर (नॉन जूडिशयल) पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि वह उपरोक्त कार्य के लिए संस्थान के किसी भी केन्द्र/संभाग द्वारा काली–सूची में नही डाला गया एवं उनका ठेका कभी भी निरस्त नहीं किया गया है ।
24. यदि कोई अन्य शर्त होगी तो उसे नीलामी के समय एवम् समय–समय पर बता दिया जायेगा।

शशिकान्त 28/10/25

(सहायक प्रशासनिक अधिकारी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. प्रधान निजी सचिव , परियोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ।
2. प्रभारी, पी.एफ.डी.सी./WTC-03 भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली ।
3. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली से यह निवेदन है कि उपरोक्त नीलामी–पत्र को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. लेखा नियंत्रक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली।
5. सुरक्षा अधिकारी, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली।
6. संबंधित सहायक, ज.प्रौ.के., भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली।